<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 55/2020

शाहरूख ..... आवेदक।

(जेल में)

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ..... विपक्षी पक्ष।

अधिवक्ताः— श्री विनोद शर्मा, आवेदक के अधिवक्ता।
श्री वी0के0 जैमिनी, उपमहाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड राज्य की ओर से।

<u>मान्नीय शरद कुमार शर्मा, जे0</u>

यह जमानत आवेदन अपीलार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत कोतवाली रूड़की में दिनांक 15—12—2019 को पंजीकृत मु0अ0सं0 787, अंतर्गत धारा—8/22/60 स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) में अपनी कथित संलिप्तता से जमानत पर अपनी रिहाई की मांग करते हुये प्रस्तुत किया गया है। यह निर्णय केवल जमानत याचिका पर साधारण विचार नहीं होना चाहिये, बल्कि उन अधिकरणों के साथ व्यवहार भी करना होगा, जिन पर आवेदक के वकील ने जमानत आवेदन पर विचार करने और परिणामी रिहाई के लिये विश्वास किया था।

2. यथार्थ तथ्य जो वर्तमान जमानत आवेदन में विचाराधीन है, हांलाकि जो आरम्भ में जमानत आवेदन में आंशिक रूप से और बाद में आंशिक रूप से दलील दिये गये हैं, जो दिनांक 02—11—2020 और 22—03—2021 के पूरक शपथपत्र के माध्यम से विकसित किये गये हैं, परन्तु इस उद्देश्य के लिये उनसे नियमानुसार निपटा जा रहा है।

3. उपरोक्त एफ0आई0आर0 दिनांक 15—12—2019 को 16:46 बजे वर्तमान आवेदक के खिलाफ केस क्राइम नम्बर 787/2019 के रूप में दर्ज की गयी। उपरोक्त प्राथमिकी में यह शिकायत की गई है कि उपनिरीक्षक श्री संजय सिंह नेगी को अपने सूत्रों से सूचना मिलने पर पता चला कि एक सफेद आई—20 कार, जिसकी पंजीकरण संख्या यू0के0 08 ए0पी0 3105 है, के आमतौर पर मलक चुंगी कहे जाने वाले स्थान से गुजरने की उम्मीद थी और उपनिरीक्षक को प्राप्त सूचना के अनुसार यह सूचित किया

गया था कि उक्त वाहन में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित सामान था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायकर्ता का मामला है कि उक्त सूचना की प्राप्ति पर, उनकी रिपोर्ट संख्या 54, समय 16:46 बजे की रवानगी से पहले, बल्कि उससे काफी पहले, उसने चेतक को दो कांस्टेबल के साथ चौकसी रखने एवं उस कार को, जिसके बारे में कथित रूप से सूचित किया था कि वह प्रतिबंधित सामान को ले जा रही है, पकड़ने के लिये भेजा था। इसके बाद शिकातयकर्ता उपनिरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल लक्सर बस स्टॉप के पास हरिद्वार रोड़ पर मलक चुंगी नामक स्थान पर पहुंच गया और उन्होंने पंजीकरण संख्या यू0के 08 ए0पी0 3105 वाली कार को पकड़ लिया। जब पुलिस अधिकारियों ने कार को रोकना चाहा, तो वाहन के चालक ने कार को मोड़कर मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन बल प्रयोग करने के बाद, पुलिस दल कार को रोकने में सफल रहा और चालक को पकड़ लिया, जो उक्त कार को चला रहा था, जैसा कि मुखबिर द्वारा सूचित किया गया था।

4. पुलिस दल, जिसने कार को पकड़ा था, उसके द्वारा चालक का नाम पूछने पर चालक ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि उसका नाम शाहरूख है और उसने बताया कि वह एन0आर0एक्स ब्यूप्रोनॉर्फिन इंजेक्शन (रेक्सोजेसी) नामक प्रतिबंधित वस्तु को ले जा रहा था। जब कार को रोका गया, तो वर्तमान आवेदक ने पुलिस दल, जिसका नेतृत्व उपनिरीक्षक संजय सिंह नेगी कर रहे थे, को बहुत ही स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि उसके वाहन में कार के पिछले हिस्से में उपरोक्त निषिद्ध वस्तुओं के इंजेक्शन से भरा एक कार्टन था। उसने कहा कि वह इसे छात्रों को बेचता था। पकड़े जाने पर उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक को उसके एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 50 द्वारा प्रतिष्ठापित व संरक्षित अधिकार, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी और जब्ती करने के प्रयोजन के सम्बन्ध में है, के बारे में सूचित किया गया। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदत अपने अधिकारों के बारे में उपनिरीक्षक द्वारा सूचित किये जाने पर वर्तमान आवेदक ने अपनी राय व्यक्त की थी कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी और उसकी कार की तलाशी ली जाये। तद्नुसार उपनिरीक्षक संजय सिंह नेगी, जिसका मोबाईल नम्बर 9412957506 था, ने अपने उक्त नम्बर से समय 19:40 बजे क्षेत्राधिकारी चन्दन सिंह बिष्ट को उनके मोबाईल नम्बर 9411129996 पर कॉल किया, व उन्हें दिनांक 15–12–2019 की घटना के बारे में समय लगभग 16:46 बजे सूचित किया और आवेदक को भी यह सूचित किया कि क्षेत्राधिकारी राजपत्रित पद का अधिकारी होता है, जो एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 50 के अंतर्गत तलाशी व जब्ती करने में सक्षम अधिकारी है। उक्त सूचना की प्राप्ति पर क्षेत्राधिकारी अपने अधिकारिक वाहन संख्या यू0के0 07 जी0ए0 2281 से मौके पर पहुंचे और उसके बाद आवेदक से पूर्व सहमति लेने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आवेदक की

तलाशी ली साथ ही साथ उस कार की भी तलाशी ली, जो आवेदक द्वारा चलायी जा रही थी और अपराध में संलिप्त थी।

5. एफ0आई0आर0 में अभियोजन की कहानी के अनुसार, आवेदक ने एक स्वेटर और एक शर्ट पहनी हुई थी और उपरोक्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने पर पाया गया कि उसकी शर्ट के नीचे उपरोक्त निषिद्ध इंजेक्शन के चार बक्से छिपे हुये पाये गये थे और प्रत्येक बाक्स में इंजेक्शन के पांच स्ट्रिप्स थे, जिसमें एक पट्टी में पांच इंजेक्शन थे। इसका मतलब है कि कुल इंजेक्शन, जो आवेदक के व्यक्तिगत रूप से शरीर से बरामद किये गये थे 100 इंजेक्शन थे और उनकी मात्रा, क्षमता प्रत्येक 2 मिलीलीटर थी, जिसमे निषिद्ध नमक की रासायनिक संरचना प्रत्येक इंजेक्शन में 0.3 मिलीग्राम थी और इसलिये बरामदगी मैंमो में यह दर्शाया गया था कि नमक के उक्त नियोजन के अनुसार बुर्परोनोर्किन प्रतिबंधित नमक, जो आवेदक के पास से इंजेक्शन से बरामद हुआ था, यह लगभग 0.600 मिलीग्राम था। जांच के दौरान आवेदक ने सूचित किया है और एक बयान भी दिया है कि वह पुरकाजी से ये वर्जित सामान/इंजेक्शन लाया था और पूरे रास्ते जब तक कि उसे मलक चुंगी में पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, उसने कुछ इंजेक्शन रास्ते में छात्रों को बेचे थे और उन्हें बेचने के बाद उनसे पैसे बरामद किये हैं। आवेदक ने उपनिरीक्षक श्री संजय सिंह नेगी के नेतृत्व वाले पुलिस दल की उपस्थिति में राजपत्रित अधिकारी को सूचित किया कि आवेदक के व्यक्तिगत कब्जे से बरामद मादक पदार्थ इंजेक्शन के अलावा, आवेदक द्वारा चलायी जा रही कार, पंजीकरण संख्या यू0के0 08 ए0ए0 3105 की डिग्गी में एक कार्टन है और जब पुलिस दल ने वाहन के पीछे से उक्त कार्टन को जब्त किया, तो पुलिस पार्टी द्वारा राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में इसकी जांच की गयी और यह पाया कि कार्टन में 36 बाक्स थे और प्रत्येक बॉक्स में 25 इंजेक्शन थे, जो प्रतिबंधित साइकोट्रापिक पदार्थ थे और प्रतिबंधित नमक के संयोजन के निर्धारण के अनुसार यह पाया गया कि कुल 05.40 मिलीग्राम आवेदक के कब्जे से प्रतिबंधित नमक पाया गया, जो बिना किसी अधिकार के उसके द्वारा ले जाया जा रहा था। तद्नुसार आवेदक को मौके से दिनांक 15–12–2019 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अंधेरा होने के कारण रिकवरी मैंमो, टॉर्च एवं वाहन की हैडलाईट की रोशनी में तैयार किया गया। रिकवरी मैमो पर वर्तमान आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और उसे अभिरक्षा में ले लिया गया था, और बाकी सामान जैसे पर्स, मोबाईल और नकदी, जो उसके द्वारा ले जाया जा रहा था, बरामद कर अभिरक्षा में लिया गया और फर्द बरामदगी पुलिस दल द्वारा पुलिस थाने पर तैयार की गयी थी।

6. आवेदक ने विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस की अदालत के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त जमानत आवेदन को दिनांक 20–12–2019 को

इस ऑब्जरवेशन के साथ खारिज कर दिया गया था कि प्रतिबंधित इंजेक्शन, जिन्हें 1000 इंजेक्शन के रूप में गिने गये थे, जो आवेदक के कब्जे से पाये गये थे, उन्हें अधिनियम के तहत वर्णित निषिद्ध वस्तुओं की सूची की अनुसूची में क्रम संख्या 169 के रूप में शामिल किया गया था और इस प्रकार आवेदक के कब्जे से बरामद की गयी मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक थी, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किया गया है, जो इसकी अधिकतम मात्रा को 20 ग्राम तक सीमित करती है लेकिन चूंकि बरामदगी स्वंय वाणिज्यिक मात्रा से बहुत ज्यादा थी। अतः जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अतः वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ।

7. जब इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02–01–2020 को वर्तमान जमानत याचिका प्रस्तुत की गयी, तो आवेदक द्वारा जमानत हेतु मुख्य आधार था कि कार से बरामदगी का तथ्य उसी के बाद पुलिस दल द्वारा रोका गया था और सर्कल अधिकारी की उपस्थिति में की जा रही तलाशी व 1000 इंजेक्शन की वसूली ऐसे तथ्य हैं, जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया लेकिन आवेदक ने जमानत देने के लिये दलीलो को इस आधार पर योग्य बनाया कि उपरोक्त अपराध करने में उसकी संलिप्तता गलत है और वास्तव में उसे बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि पुलिस दल द्वारा की गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 50 और 51 का पालन नहीं किया गया था। अन्य आधार जो जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा शुरू में लिये गये थे, वह यह थे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) के तहत निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि कथित बरामदगी के सभी गवाह पुलिसकर्मी थे और उनकी बरामदगी व बरामदगी मैमो पर विशेष रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तैयार किये गये रिकवरी मैंमो का आवेदक द्वारा विधितः समर्थन किया गया था और उसने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में प्रतिबंधित सामान ले जाने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उसने यह तर्क लिया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस समय यह न्यायालय दिनांक 02–11–2020 को दायर किये गये पूरक हलफनामें में आवेदक द्वारा उठायी गयी दलीलों से निपटना आवश्यक समझता है, जिसमें आवेदक द्वारा पहली बार निम्नलिखित प्रभाव के अतिरिक्त याचिका उठायी गयी थी–

(i) कथित तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कोई वीडियो, रिकॉडिंग नहीं की गयी थी।

(ii) तथाकथित कॉल विवरण, जैसा कि पुलिस अधिकारियों के दल के सदस्यों में से अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी और जब्ती करने के लिये क्षेत्राधिकारी को फोन किया गया था, उसे प्रदान नहीं किया गया।

8. निश्चित रूप से पूरक हलफनामें में पहली बार आवेदक द्वारा एक नया मामला बनाया गया था, जो न तो जमानत आवेदन में एक मामला बनाया गया था, जो अवर न्यायालय के समक्ष दायर की गयी थी और न ही एक ऐसा मामला था, जिसका प्रथम उपलब्ध घटना में अभिवचन किया गया है। यहां तक जब इस न्यायालय के समक्ष 02–01–2020 को जमानत प्रस्तुत की गयी, आवेदक द्वारा जो नया मामला बनाया गया था, वह यह था कि अपराध के कमीशन में आवेदक की संलिप्तता का किस्सा पूरी तरह से गलत है। इसका कारण दुश्मनी है, जिस पर आवेदक का तर्क है कि उस इसलिये फसाया गया क्योंकि जाहिद अली और परवेज दो पुराने ड्रग पैडलर बताये जाते हैं, उन्हें आवेदक के पिता द्वारा दिनांक 30–05–2016 को प्रदान की गयी एक सूचना पर गिरफ्तार किया गया था और इसलिये आवेदक ने तर्क दिया कि वह जाहिद अली था, जिसने रवीन्द्र सिंह के साथ मिलीभगत कर एक झूठी कहानी रची थी, जो कथित तौर पर जाहिद अली का सहयोगी है, जो कथित तौर पर उपनिरीक्षक रवीन्द्र सिंह का रिश्तेदार था।

9. एक बार फिर आवेदक द्वारा एक नयी कहानी पहली बार बनायी गयी कि परवेज जो जाहिद अली का सहअभियुक्त था ने दिनांक 15–12–2019 को आवेदक से एक घन्टे के लिये उसकी कार ले ली थी और उसने कार में नशीला पदार्थ रख दिया था, जिसे बाद में पुलिस दल द्वारा दिनांक 15–12–2019 को मलक चुंगी पर आवेदक के पास से जब्त कर लिया, इसलिये अभियोजन पक्ष के मामले पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10. आवेदक की सम्पूर्ण कहानी, जिसे 02–11–2020 को पहली बार पूरक हलफनामें के माध्यम से विकसित किया गया था, की विद्वान विचारण न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री रखकर इसकी पुष्टि नहीं की गयी थी, तर्कसंगत रूप से यह कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल मनगढ़न्त और झूठी कहानी है, जो कि आवेदक द्वारा विचारोपरान्त द्वेष का एक मामला बनाने के लिये विकसित की गयी, जिसे कथित तौर पर जाहिद अली द्वारा सक्रिय किया गया था क्योंकि आवेदक के पिता ने ड्रग्स से निपटने के लिये जाहिद अली की कथित संलिप्तता के लिये उसे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

11. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि एक वीडियो रिकॅडिंग के अभाव में, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 25–07–2018 को दिये गये फैसले द्वारा अनिवार्य किया है, पूरी कहानी झूठी होगी। आवेदक द्वारा विशेष रूप से एक संदर्भ अशोक चौहान के मामले में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात के लिये किया गया था।

12. उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से कवर की गयी हैं। एक समान जमानत के अनुदान के कारण, एक श्री आरिफ की 2013 की जमानत आवेदन संख्या 977 जो इस न्यायालय द्वारा 09–09–2023 के आदेश द्वारा दी गयी थी, जो कि 2013 के एक अलग मामले के अपराध संख्या 171 से उत्पन्न हुआ था। (जमानत की एक मिसाल पर भरोसा किया गया था, जो वर्तमान अपराध के समय से छः साल पहले दी गयी थी।)

13. इस मामले के दो पहलू हैं, जिन पर यह न्यायालय इस स्तर पर ही विचार करना आवश्यक समझता है। जहां तक आवेदक द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ के फेसले के संदर्भ की बात है, जिसमें तलाशी और जब्ती के लिये मामले की वीडियो रिकॉडिंग की औचित्य की आवश्यकता है, जैसा कि अशोक चौहान के फैसले में निर्धारित किया गया था। जहां तक इस न्यायालय का सम्बन्ध है, यदि उक्त संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि (2018)2 यू0डी0 191 अशोक चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य में रिपोर्ट किये गये उक्त निर्णय के पैरा 15 में बताया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 15 का उल्लेख निम्नलिखित है–

''15 अलग होने से पहले यह न्यायालय अवलोकन करना चाहता है कि एन0डी0पी0एस0 अधिनियम से संबंधित कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट साईक्लोस्टाईल तरीक से दर्ज की जा रही है। उदाहरण के लिये, गश्त करते समय, पुलिस दल को अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, जो पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस दल तुरन्त उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। अधिकांश मामलों में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलता है। हालांकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जाती है लेकिन फिर से लगभग हर मामले में वह पुलिस अधिकारी ही होता है, अनुपालन दर्शाया गया है लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्वतंत्र गवाह के अभाव में निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है? ऐसी स्थिति में निर्दोष व्यक्ति के फंसने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपी को पकड़ने वाला पुलिस दल उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का नाम ही पूछने की जहमत नहीं उठाता, जिससे उसने मादक पदार्थ खरीदा था, हर मामले में आरोपी व्यक्ति वाहक होते हैं और एफ0आई0आर0 और पुलिसकर्मियों के साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जाता है। आजकल स्टिल कैमरे और वीडियो कैमरे आसानी से उपलब्ध हैं और आरोपियों की संलिप्तता दिखाने वाली कथित बरामदगी की वीडियोग्राफी आसानी से की जा सकती है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी होने पर ज्यादातर मामलों में की जा रही है। इस पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है इसलिये मैं निर्देश देता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिये इस आदेश की एक प्रति राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को तुरन्त भेजी जाये।''

14. इस न्यायालय का विचार है कि समन्वय पीठ ने अपने फैसले में इस मुद्दे पर विचार करते हुये एन0डी0पी0एस0 मामलो में भी गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉडिंग प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है, इसे कार्यवाही के अनिवार्य नियम के रूप में नहीं बनाया गया था बल्कि यह उन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये केवल निर्देशात्मतक प्रकृति के थे, जो पैरा 15 (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में दर्ज किये गये हैं, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है। वहां न्यायालय ने केवल एक राय और अपेक्षा व्यक्त की है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वीडियो रिकॉडिंग प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देना उचित होगा; अर्थात मेरे विचार के अनुसार यह एक सकारात्मक निर्देश नहीं था बल्कि यह राज्य के अनुपूरक हलफनामें (पृष्ठ 4) के पैरा 15 का पालन करने के निर्देश थे।

15. इसके सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने एक और संदर्भ (2020) 1 यू0डी0 106 हरीश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य निर्णय के पैरा संख्या 29 से 33 तक प्रस्तुत किया, जो अभी तक एक पूर्व अनुपात पर आधारित था, जिसे मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (2016) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 379 भारत संघ बनाम मोहन लाल व अन्य में बताये गये निर्णय में और विशेष रूप से मोहन लाल (सुप्रा) के उक्त निर्णय के पैरा 19 में उद्धरण दिया है, जो निम्नलिखित है–

> ''19 इस स्तर पर अन्य दो पहलूओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला यह है कि 16 जनवरी 2015 की अधिसूचना स्थाई आदेश संख्या 1/89 का स्थान नहीं लेती है क्योंकि उक्त स्थाई आदेश मादक दवाओं और मनोदैहिक और नियंत्रित पदार्थों और परिवहन के निपटान के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है। पहले के स्थाई आदेश के विशिष्ट ओवरराईडिंग में कुछ हद तक भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता था, जो स्थाई आदेश संख्या 1/89 दिनांक 16 जनवरी 2015 की एक साथ उपस्थिति के कारण स्पष्ट है। उदाहरण के लिये स्थाई आदेश संख्या 1/89 के पैरा (1) में कुछ मादक दवाओं और उनमें सूचीबद्ध मादक पदार्थों का निपटान किया जा सकता है जबकि 16 जनवरी 2015 की अधिसूचना में सभी मादक दवाओं और मनोदैहिक और नियंत्रित पदार्थों और परिवहन को निपटान का प्रावधान है। फिर से स्थाई संख्या 1/89 के संदर्भ में आवेदन करने की प्रक्रिया 16 जनवरी 2015 की अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया से थोड़ी अलग थी, जो न केवल उन अधिकारियों से संबंधित प्रक्रिया, जो आवेदन कर सकते थे से संबंधित थी बल्कि उस प्रक्रिया के संबंध में भी है, जिसका डी0जी0सी0

निपटान का निर्देश देते समय पालन करेगा। दोनों अधिसूचनाओं में वे सीमायें निर्धारित की गयी हैं, जिन तक निपटान का निर्देश दिया जा सकता है। अधिक मात्रा के मामले में स्थाई आदेश संख्या 1/89 के तहत निपटान विभाग के प्रमुख की उपस्थिति में किया जाना था, जबकि 2015 की अधिसूचना के अनुसार अधिक मात्रा या मूल्य की स्थिति में निपटान विभाग के प्रमुख द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय दवा निपटान समिति द्वारा किया जाना था, फिर से आदेश संख्या 1/89 में निपटान के लिये विशेष रूप से न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, दिनांक 16 जनवरी 2015 की अधिसूचना एक विशिष्ट शर्त के रूप में इस तरह के अनुमोदन को निर्धारित नहीं करती, जैसा भी हो, बाद की सूचना जिस हद तक एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करती है, हम मानते हैं कि पिछली अधिसूचना/स्थाई संख्या 1/89 को हटा दिया गया है। एक ही विषय पर दो अधिसूचनाओं की निरन्तर उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम से बचने के लिये हम स्पष्ट करते हैं कि जब तक सरकार इसके लिये अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है मादक दवाओं और मनोदैहिक और नियंत्रित पदार्थो और परिवहन का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा।''

16. जहां तक मोहन लाल (सुप्रा) मामले के सिद्धान्तों की बात है, जो कि (2020) 1 यू0डी0 106 हरीश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य में रिपोर्ट किये गये हरीश चन्द्र के फैसले में भरोसा किये गये थे। यदि हरीश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य के पैरा 33 को ध्यान में रखा जाये, तो यह धारा 52 (ए) की उपधारा 3 के अनुपालन की सम्भावना से था। यह फिर से केवल वे मापदण्ड थे, जो व्यापक रूप से निर्धारित किये गये थे और व्यक्त किये गये थे, और जिनका पालन किये जाने की उम्मीद थी। जबकि उच्च न्यायालय मादक पदार्थों के खतरों से निपटने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के मजिस्ट्रेट के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिये आवेदनों पर विचार करता है, जो अब एक खतरनाम आयाम ले चुका है, विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य है, जहां कोई शिथिलता नहीं अपनायी जा सकती–

''33 भारत संघ बनाम मोहन लाल व अन्य में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2016) 3 सुप्रीम कोर्ट 379 में अभिनिर्धारित किया है कि– ''19....हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के बाद अधिनियम के तहत विचार किये गये नमूनों और प्रमाणन के लिये एक आवेदन किया जाना चाहिये। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के किसी भी आवेदन और परिणामी नमूने लेने और प्रमाणन की प्रक्रिया

को सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सामान्य रूप से अधिनियम की योजना और विशेष रूप से धारा 52ए, आवेदन करने या नमूने लेने और प्रमाणन के मामले में किसी भी देरी को नहीं रोकती है। यद्यपि हम उपबंधों में समय सीमा निर्धारित या पढ़ने की कोई गुन्जाइश नहीं देखते हैं, हमारा विचार है कि नमूना लेने और प्रमाणन के लिये आवेदन किसी अनुचित देरी के किया जाना चाहिये और मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जायेगी कि वह आवेदन में उचित अवधि के भीतर और बिना किसी अनुचित देरी या विलम्ब के उपस्थित रहें और आवश्यक कार्य करें, जैसा कि धारा 52ए (उपर्युक्त) की उपधारा 3 द्वारा अनिवार्य है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि उच्च न्यायालय इस संबंध में मजिस्ट्रेटों के प्रदर्शन पर और मजिस्ट्रेटों के माध्यम से उन एजेन्सियों पर कड़ी नजर रखेंगे, जो नशीली दवाओं के खतरे से निपट रहे हैं, जो इस देश में कुछ हद तक कानूनों और प्रक्रियाओं के अप्रभावी और अभावपूर्ण प्रवर्तन के कारण खतरनाक आयाम ले चुके हैं और जिस तरह से इस देश में एजेन्सियां और समय पर मजिस्ट्रेट इस तरह के गम्भीर आयामों की समस्या का समाधान करते हैं।''

17. इस न्यायालय का विचार है कि उक्त निर्देश भी केवल नियामक प्रकृति का था और यह ऐसा सुझाव था, जिसे व्यक्त किया गया था और यह एक ऐसा आदेश नहीं था, जिसका उस समय एन0डी0पी0एस0 मामलों में गिरफ्तारी, जब्ती या प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के स्तर पर पालन किया जाना निर्धारित किया गया था।

18. एक और तर्क है कि यह न्यायालय तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की घटना की वीड़ियो रिकॉडिंग के कथित निर्देश का पालन करने की आावश्यकता से संबंधित आवेदक के अधिवक्ता के तर्क से सहमत क्यों नहीं है; क्योंकि राज्य की स्थलाकृति और इसकी भौगोलिक बाधाओं को देखते हुये हमेशा इस तरह की जब्ती और तलाशी की घटनायें होती हैं, इसलिये आम तौर पर उन क्षेत्रों में पहुंच बहुत कठिन होती है, जहां आम तौर पर जनता की पहुंच नहीं होती है या जहां आम तौर पर जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे उन्हें जब्ती और तलाशी की घ ाटना के गवाह के रूप में दर्ज किया जा सके और कभी कभी इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कभी कभी पुलिस पक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के बहुत कम अन्तराल या सूचना के भीतर तलाशी और जब्ती की जा रही होती है। इस विशेष मामले में एक और पहलू है, जिस पर विचार किया जाना चाहिये कि आवेदक के पूरक हलफनामें में किये गये अभिवाक् के अनुसार, जो आवेदक द्वारा 02–11–2020 को दायर किया गया था; अधिवक्ता के परिवर्तन के साथ पहली बार, इस तथ्य को रिकॉर्ड में

लाया गया कि उसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉडिंग की प्रति प्राप्त करने के लिये विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जब कि उसकी 08–10–2020 को दायर जमानत याचिका पर विचार किया जा रहा था और अपने स्वंय के मामले के अनुसार जैसा कि पूरक हलफनामें के पैरा 5 में अनुरोध किया गया था; उक्त आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 23–10–2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया है।

19. द्वेष को जिम्मेदार ठहराने का कथित सिद्धान्त आवेदक की वर्तमान अपराध में कथित संलिप्तता की तरफ, जाहिद अली और परवेज की गिरफ्तारी के बहाने, जो कि आवेदक के पिता द्वारा पूर्व में 30–05–2016 को दी गयी सूचना के आधार पर हुयी थी, फिर भी इस सिद्धान्त पर अधिक विश्वास नहीं करता है, यह न्यायालय इस मत का है कि इस पर विश्वासव नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि वर्तमान घटना 15–12–2019 के बहुत बाद की है और तो और जब इसके पूर्व की 30–05–2016 की घटना से और 15–12–2019 की गिरफ्तारी और जब्ती की वर्तमान घटना से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया है और इसके अलावा मेरी राय है कि यदि 2016 की आवेदक के पिता की पूर्व कार्यवाही के लिये शिकायतकर्ता की ओर से कोई र्दुभावना थी तो मेरा विचार है कि बचाव पक्ष की यह दलील, जो पहले से आवेदक के लिये उपलब्ध थी, जिसे बचाव के रूप में, पहली बार में विशेष रूप से उस समय जब जमानत आवेदन पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था, या उस स्तर पर भी जब इसे इस न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जा रहा था, लिया जाना चाहिये था। जहां तक उसके अपने बयान का प्रश्न है, जो साइकोट्रोपिक पदार्थ ले जाने के रिकवरी मैंमो में दर्ज किया गया है; रिकवरी मैंमो की तैयारी उस हद तक अवैध वस्तु की बरामदगी, जिस पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, वे तथ्य हैं, जिन्हें आवेदक ने स्वीकार किया है क्योंकि इन सभी दस्तावेजों पर बिना किसी विरोध के उसके द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किये गये थे।

20. इस न्यायालय ने तर्क के दौरान आवेदक श्री विनोद शर्मा के अधिवक्ता से लगातार एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 के प्रभाव पर न्यायालय को जवाब देने और सम्बोधित करने के लिये कहा था कि उसके कब्जे से बनाये जा रहे निषिद्ध सामान की बरामदगी का क्या प्रभाव होगा, जो कि अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 169 द्वारा परिकल्पित वाणिज्यिक मात्रा से परे था, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई स्वीकार्य या कोई उचित जवाब नहीं दिया गया है बल्कि अधिनियम की धारा 37 के प्रभाव से बचने का प्रयास किया गया था, जिसका जवाब आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिये था; क्योंकि दर्ज किये गये सुसंगत निष्कर्ष के अनुसार; आवेदक से

निषिद्ध वस्तु की बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक थी और इसलिये इस न्यायालय की राय के अनुसार अधिनियम की धारा 37 का निहीतार्थ अनिवार्य रूप से लागू हो जाता है, जो जमानत आवेदन पर विचार करने में कुछ प्रतिबन्धों को निर्धारित करता है, उन परिस्थितियों में जहां निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है।

21. आवेदक के अधिवक्ता ने समन्वय पीठ के 2013 के आरिफ बनाम उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम जमानत आवेदन संख्या 977 में पारित निर्णय पर भरोसा किया था, उस स्तर पर न्यायालय जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन पर विचार करने का अधिकार प्राप्त था ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंर्तनिहित शक्ति का प्रयोग किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट और इसके प्रभाव और विचार को रद्द करते समय उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत सीमित थे, जहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 195, 196, 197, 199, 2003, 420, 467 और 471 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये पुलिस वालों के खिलाफ अपने अधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनकी लापरवाही के लिये और उसमें आवेदक को झूठा संलिप्त करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था। वास्तव में मेरे विचार में उक्त निर्णय आरिफ (सुप्रा) जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गय था, वे मामले में एक मिसाल नहीं था बल्कि एक बार फिर सक्षम प्राधिकारी को मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के कारण प्राथमिकी के गलत पंजीकरण के लिये पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश था, क्योंकि यह आरिफ के मामले में विचार में शामिल था, जो प्रकृति में समान नहीं है, जैसा कि वर्तमान मामले में आवेदक के अधिवक्ता ने अनुरोध किया था। इसलिये जहां तक इस न्यायालय के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि उक्त सिद्धान्त यहां पर लागू नहीं होगा और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2016) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 135 पूजा पाल बनाम भारत संघ के मामले में दिये गये निर्णय के आलोक में भी लागू नहीं होगा, जहां दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लगभग एक समान निर्देश जारी किये गये थे, जो एक बार फिर ऐसा मामला था, जो अपराध करने में अभियुक्त की कथित संलिप्तता और प्राथमिकी के झूठे पंजीकरण के प्रभाव के अंतिम निर्णय के एक पहलू से सम्बन्धित था।

22. वर्तमान मामले में एक और अंतर किया जाना बाकी है क्योंकि सी0ओ0 के बयान के अनुसार जो हालांकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अंकित किये गये थे, उसमें उसने जी0डी0 की प्रविष्टियों का संदर्भ दिया है और ऐसा कोई उद्देश्य या द्वेष नहीं है, जिसे बाद के चरण में पूरक हलफनामें में आवेदक द्वारा

अनुरोध किया गया था, जिसे वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों के तहत आवेदक द्वारा न्यायोचित और उचित ठहराया गया था। इस प्रकार सी0ओ0 के बयान में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जब्त की गयी वस्तु, जो आवेदक के कब्जे से बरामद की गयी थी, वाणिज्यिक मात्रा से परे थी और बरामद की गयी वस्तुओं को कब्जे में लेने के लिये एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 50 और 60 का कठोर अनुपालन किया गया था क्योंकि इसके विपरीत किये गये अभिवचन के लिये इस स्तर पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, जो स्पष्ट रूप से मामले के मुकदमें के दौरान न्यायिक जांच का विषय होगा।

23. जब यह जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था तो इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 19–11–2020 के आदेश द्वारा सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वह अशोक चौहान (सुप्रा) के निर्णय के आधार पर वीडियो रिकॉडिंग को रिकॉर्ड में रखे क्योंकि यह कथित रूप से आवेदक द्वारा दावा किया गया था और बाद में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 52 (ए)(2) के कथित गैर अनुपालन के उद्देश्यों के लिये जांच अधिकारी मौजूद था और जांच अधिकारी ने बहुत स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि चूंकि यह एक अचानक तलाशी थी, जो सूचना प्राप्त होने के बहुत कम अंतराल के भीतर की गयी थी, इसलिये वर्तमान मामले की परिस्थितियों में वीडियोग्राफी सम्भव नहीं थी।

24. परिणामस्वरूप जो तर्क दिया गया था कि कथित जब्ती और तलाशी एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) की उपधारणा आवेदक के पक्ष में की जायेगी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं चूंकि उसका अपना आवेदन विचारण न्यायालय के आदेश 23–10–2020 से खारिज हो गया था, जो अंतिमता प्राप्त कर चुका है। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 52 (ए)(2) का अनुपालन न करने की प्रत्यक्ष बुराई इस स्तर पर वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा शिकायत नहीं हो सकती, जो अभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष विचार करने हेतु खुली है, जब आवेदक का अपराध के लिये गुण दोष के आधार पर विचारण किया जायेगा।

25. पुनरावृत्ति के माध्यम से, अन्य प्राधिकरण जिन पर अधिवक्ता ने वीडियो रिकॉडिंग की आवश्यकता से संबधित निर्भरता रखी है, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है कि वे केवल एक प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये निर्देश थे, न कि अनिवार्य, जहां न्यायालय ने कोई सकारात्मक राय व्यक्त की है, यह केवल जांच एजेन्सी से अपेक्षायें थी लेकिन अन्य निर्णय जिन पर निर्भरता रखी गयी है, जहां वीडियो रिकॉडिंग को जांच के आवश्यक हिस्से के रूप में किये जाने की उम्मीद की गयी थी, वे एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के सम्बन्ध में मामले नहीं हैं और इसलिये, मुख्य रूप से वे

निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे, जो मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित थे और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जहां जांच या परीक्षण के मापदण्डों में पूरी तरह से एक अलग धारणा शामिल है।

26. स्थायी अधिवक्ता ने बाद में 13–05–2021 को एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया है। धारा 52 (ए) के अनुपालन से संबंधित अपनी याचिका को स्पष्ट करते हुये उन्होंने कथन किये कि बरामद किये गये प्रतिबंधित पदार्थ की सूची आवेदक की उपस्थिति में बनायी गयी थी। उनकी उपस्थिति में नमूनों को सील कर दिया गया। नमूनों को एफ0एस0एल0 जांच के लिये भेजा गया है और अधिनियम की धारा 52 (ए)(2) के प्रावधानों के अनुपालन में अन्य मिठाईयों को मालखाने में रखा गया था, जो अभी भी सुरक्षित हिरासत में पड़े हैं। उसमें बताये गये तथ्य, आवेदक द्वारा आज तक कोई जवाब दाखिल न करके अप्रमाणित रहे हैं। इसलिये पूरक जवाबी हलफ नामें में सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताये गये तर्कों को स्वीकार करने के बराबर होगा।

27. उपरोक्त उद्धृत निर्णय के अलावा, जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा रखा है, उन्होंने इस न्यायालय की अधिकारिता का लागू करने के उद्देश्यों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत, अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ इस न्यायालय के कई अन्य प्राधिकरणों का संदर्भ दिया था, जिसमें एक संदर्भ में और विशेष रूप से अधिकांश प्राधिकरण जिन पर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विचार किया गया है, वे एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 52(ए) से संबंधित हैं। उक्त धारा निम्नवत् है–

> **''धारा 52(ए) समपहृत की गयी स्वापक औषधियां एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों की खतरनाक निराकरण–** केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधियों एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों की खतरनाक प्रकृति उनकी चौकसी होने, उनकी प्रतिस्थापना, उनके उचित भण्डारण, स्थान व्यवस्था और अन्य सुसंगत स्थितियों को विचार में लेते हुये, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट प्रकार की स्वापक औषधियों या साइकोट्रॉपिक पदार्थों या किसी वर्ग की स्वापक औषधि या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के लिये उनके जब्त किये जाने के तुरन्त पश्चात, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से, जैसे वह सरकार समय–समय पर निश्चित करे, इसके पश्चात वर्णित प्रक्रिया के पालन के उपरान्त निराकरण करायेगी।
>
> (2) जहां किसी स्वापक औषधि या मनोतेजक पदार्थों को जब्त किया जाकर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी को अप्रेषित किया जाता है। उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, स्वापक औषधि या साईकोट्रोपिक पदार्थ की सूची तैयार

करेगा, जिसमें उसकी मात्रा, स्वरूप, सील बंद करने का तरीका, चिन्ह्, अंक या अन्य ऐसे पहचान चिन्हों का विवरण, उस स्वापक औषधि या साईकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पत्ति का देश और अन्य ऐसी विवरण जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान, उसकी पहचान के लिये, उचित समझे, और तब वह किसी मजिस्ट्रेट का इस आशय का आवेदन करेगाः–

(क) इस प्रकार तैयार की गयी सूची की सत्यता प्रमाणित करने को, या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसी औषधि या पदार्थ के छायाचित्र लेने और ऐसे छायाचित्रों के सत्य होने के प्रमाणीकरण करने को,

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ में से, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना लेने और लिये गये ऐसे नमूने की सूचनी की सत्यता सत्यापित करने को।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी सम्भव हो, ऐसे आवेदन को स्वीकार करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक न्यायालय, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई कर रहा है, उपधारा (2) के अधीन स्वापक औषधि या साइकोट्रापिक पदार्थ की मजिस्ट्रेट, द्वारा सत्यापित सूची, छायाचित्र और नमूने की सूची को, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य करेगा।

28. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी दलीलों से शुरू करने के लिये उन्होंने मान्नीय उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ दिया, जैसा कि (2018) 5 सुप्रीम कोर्ट केसस 311 शफी मोहम्मद बनाम हिमांचल राज्य वाद में मान्नीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा (2018) सुप्रीम कोर्ट के मामले में 443, मानव अधिकार और अन्य बनाम भारत संघ (यूनियन आफ इण्डिया) के लिये सामाजिक कार्यवाही मंच (यूनियन आफ इण्डिया) कानून व न्याय मंत्रालय और अन्य में रिपोर्ट किये गये निर्णय में शफी मोहम्मद (उपरोक्त के) उक्त निर्णय पर पुर्नविचार किया गया और विशेष रूप से उपरोक्त दो निर्णयों के मूल आशय और उद्देश्यों के लिये संदर्भ दिया जा सकता है, जो मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। यदि संक्षेप में निर्णयों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि निर्णय के पैरा 1 में संदर्भित किया गया है। जहां यह मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शफी मोहम्मद के निर्णय (2018) 5 सुप्रीम कोर्ट केसस 311 शफी मोहम्मद बनाम हिमांचल प्रदेश के निर्णय में प्रतिपादित अनुपात को उद्धृत करता है। वास्तव में यह केवल सुझात्मक प्रकृति का था और यह एक पूर्व स्थिति थी, जो उस

तर्क पर विचार करते हुये रखी गयी थी, जिसे विद्वान अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के करनैल सिंह (2009) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 539 के मामले में फील्ड ऑफिसर्स हैन्ड बुक के संदर्भ में फील्ड ऑफिसर्स हैन्ड बुक के अनुपात को निकालते हुये उद्धृत किया गया था, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरौ द्वारा जारी किया गया था, जो नारकोटिक्स ड्ग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स एमेन्डमेन्ट बिल 2016 द्वारा निहित शर्तों के अनुसार था, जिसे संसद सदस्यों द्वारा लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त निर्णय में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने केवल ऐसे निरीक्षण और जांच टीमों को प्रदान की जाने वाली रसद सहायता और तरीकों का सुझाव दिया था और प्रतिबंधित सामग्री के परीक्षण पूर्व निपटान के लिये वीडियोग्राफी के तरीके, जिसे अधिनियम की धारा 52ए के अंतर्गत अनुमति लेने के बाद पालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है। यदि उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित आशय और उद्देश्य के साथ साथ उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित भावना को उक्त निर्णय के पैरा 1 के उप पैरा 4 से 6 के परिपेक्ष में माना जाता है। उक्त उप पैरा 4 से 6 निम्नवत् है–

> ''4 विद्वान अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कन्टोल ब्यूरो द्वारा जारी फील्ड ऑफिसर्स हैन्ड बुक की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि जांच दलों को रसद सहायता प्रदान की जाये। यह आगे सुझाव देता है कि सभी पुर्नप्राप्ति और छिपाने के तरीकों की एक साथ वीडियोग्राफी की जानी चाहिये। उक्त पुस्तिका 3 में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रतिबंधित पदार्थों के मुकदमें से पहले निपटारे के लिये स्वापक औषधिक और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52ए के तहत अनुमति ली जानी चाहिये। इसके अलावा, लोकसभा में एक निजी सदस्य द्वारा पेश किये गये स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन विधेयक, 2016 का संदर्भ दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके विचार में इस तरह का विधेयक न्याय के हितों को आगे बढ़ायेगा और वह भारत सरकार को जांच एजेन्सियों द्वारा देश में इन उपायों को अपनाने पर विचार करने और उनकी देखरेख करने की सलाह देंगे।
>
> 5. श्री ए0आई0 चीमा, विद्वान न्यायमित्र इंगित करते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54ए के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान की वीडियोग्राफी होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपायों को मृत्यु कालिक

कथन, पहचान प्रक्रियाओं और पोस्टमार्टम को दर्ज करने के लिये भी अपनाया जा सकता है।

''6. चूंकि हम पाते हैं कि जमीनी स्तर पर इन उपायों को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है, इसलिये हम भारत सरकार के गृह सचिव को विभिन्न जांच एजेन्सियों से यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि इस तरह के उपायों को कितना अपनाया जा सकता है और प्रभावी जांच और अपराध की रोकथाम के लिये उपरोक्त तकनीक का उपयोग करने के लिये आगे क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

29. यह फिर से एक प्रयास था, जो मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गृह सचिव, भारत सरकार को निर्देश देकर और उसके परिणामस्वरूप, जांच एजेन्सियों को यह निर्देश देने के लिये किया गया था कि जांच को प्रभावी बनाने के लिये उपरोक्त तकनीक का उपयोग करने के लिये किस तरह और उपायों को अपनाया जा सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि शफी मोहम्मद (उपरोक्त के उक्त निर्णय के पैरा 5 जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54ए के निहितार्थ पर विचार किया गया है, तो इसका दूसरा परन्तुक वास्तव में यह वीडियोग्राफी पहलू था, जिसे पहचान की प्रक्रिया को अधिक प्रमाणितकता प्रदान करने के उद्देश्यों के लिये विचार में लिया गया था और बयान जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अंकित किये गये हैं, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 1 के उप पैरा 5 में संदर्भित किया गया है, जो निम्नलिखित है–

''5.विद्वान एमिकस क्यूरी श्री ए0आई0 चीमा बताते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 54ए का दूसरा परन्तुक उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पहचान प्रक्रिया के लिये वीडियोग्राफी का प्रावधान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के जुर्म इकबालिया बयानों की वीडियो रिकॉडिंग होनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त प्रावधान मृत्यु कालिक कथन, पहचान प्रक्रिया और पोस्टमार्टम को रिकॉर्ड करने के लिये भी अपनाया जा सकता है।

30. यदि उक्त निर्णय के पैरा 1 के उप पैरा 5 के आशय को ध्यान में रखा जाये तो वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इकबालिया बयान की रिकॉडिंग के उपयोगकर्ता के लिये थी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत किये जाते थे और वे उपाय जिन्हें मृत्यु पूर्व बयान, पहचान, पोस्टमार्टम दर्ज करते समय अपनाया जा सकता था, वह प्रयुक्त कारकों में से एक था, जिन पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था, जो प्रकृति में केवल निर्देशात्मक था और केवल एक सुझाव था, जिसे इसके प्रभाव के लिये भारत सरकार को दिया गया था। यह न्यायालय क्या अवलोकन

करना चाहता है, उक्त निर्णय शफी मोहम्मद (सुप्रा) में दी गयी तर्क के दृष्टिगत, यह पढ़ा नहीं जा सकता और यदि यह एक अनुपात निर्धारित करता था, तो यह केवल निर्दिशात्मक था, जो मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था और एक अपेक्षा थी भारत सरकार से, ताकि वीडियोग्राफी की एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाने के उद्देश्य से की गयी जांच को अधिक प्राथमिकता प्रदान की जा सके। यदि उक्त निर्णय के पैरा 9, 10, 11 को विचार में रखा जाता है, जो कि निम्न उद्धृत किये गये हैं–

> '9. हम विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट से सहमत है कि जांच के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, मनु/सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायालय की एक संविधान पीठ/1323/2009; (2009 8 एस0सी0सी0 539 ने प्रतिपादित किया कि पुलिस प्रशासन की प्रणाली में प्रोद्यौगिकी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आदेश के पहले भाग में उद्धृत निर्णयों में यह भी अवधारित किया गया है कि नई तकनीकों और उपकरणों के, अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों के अधीन, स्पष्ट लाभ हैं। ऐसी तकनीकें और उपकरण आज के दौर में चलन में है। प्रोद्य ौगिकी, जांच में एक महान उपकरण है। वीडियोग्राफी द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।
>
> ''10 इस प्रकार हमारा मानना है कि इस तथ्य के बावजूद कि अभी तक भारत में जांच एजेन्सियां वीडियोग्राफी के उपयोग के लिये पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार नहीं हैं, समय आ गया है कि जांच में वीडियोग्राफी शुरू करने के लिये काम किया जाये
>
> ''11 हम निर्देश देते हैं कि समिति द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना को लागू करने के दृष्टिगत गृह मंत्रालय द्वारा शुरू केन्द्रीय निर्माण निकाय सी0ओ0बी) साबित किया जाये। सी0ओ0बी0 समय समय पर निर्देश जारी कर सकता है। अपनी रिपोर्ट में समिति के सुझाव को ध्यान में रखा जा सकता है। सी0ओ0बी0 वीडियोग्राफी के उपयोग की कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार होगा। हम केन्द्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सी0ओ0बी0 को पूर्ण समर्थन दे और इसके निपटान के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये। हम यह भी निर्देश देते हैं कि सी0ओ0बी0 उचित निर्देश जारी कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चरणबद्ध तरीके से वीडियोग्राफी का उपयोग वास्तविकता बन जाये और कार्यवाही के पहले चरण में 15 जुलाई 2018 तक अपराध

स्थल की वीडियोग्राफी को विवेचना के अनुसार कम से कम कुछ सुझावों पर पुष्ट किया जाना चाहिये और प्राथमिकता सी0ओ0बी0 द्वारा निर्धारित की जाती है।

31. मेरी राय के अनुसार उसमें दिये गये निर्देश, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकृति में विचारोतेजक थे, जिसे मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के निहितार्थों को अनिवार्य करने के लिये उक्त निर्णय में मांगा था। जैसा कि करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2009 8 सुप्रीम कोर्ट केसस 539 में बताया गया है, जहां जांच में एक महान और प्रभावी उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया है। महत्वपूर्ण साक्ष्य के एक उपकरण के रूप में वीडियोग्राफी को विश्वसनीय तरीके से मापा और प्रस्तुत किया जा सकता है और इसलिये उक्त निर्णय के पैरा 10 में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभिव्यक्ति दी थी कि दिये गये सुझाावों को स्वीकार करना वांछनीय होगा। उसे आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन में समितियों द्वारा एक अभ्यास के रूप में अपनाया जाना था और अंततः उसमें दिये गये निर्देश उक्त निर्णय के पैरा 12, 13, 14 में निहित थे, जो निम्नलिखित हैं–

> ''12 विद्वान एमिकस के सुझावों को रिकॉर्ड पर रखते हैं कि इस परियोजना के लिये वित्त पोषण के शुरू में यथासम्भव सीमा तक केन्द्र द्व ारा किया जा सकता है और एक केन्द्रीय सर्वर स्थापित किया जा सकता है। इन सुझावों पर सी0ओ0बी0 द्वारा विचार किया जा सकता है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है।
>
> ''13. हम डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल, राज्य और अन्य मनु/एस0सी0/0799/2015 (2015) 8 एस0सी0सी0/744 में इस न्यायालय द्वारा पहले से ही निपटाये गये एक सम्बन्धित मुद्दे का भी उल्लेख कर सकते हैं। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सभी पुलिस स्टेशनों के साथ साथ जेलों में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें। एक ओर निर्देश की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य में एक निरीक्षण तंत्र बनाया जााये, जिससे एक स्वतंत्र समिति सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज का अध्ययन कर सके और समय समय पर अपने टिप्पणियों की रिपोर्ट प्रकाशित कर सके। सी0ओ0बी0 को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द उचित निर्देश जारी करने दें। सी0ओ0बी0 अगले तीन महीनों में ऐसे निर्देशों के अनुपालन के बारे में जानकारी भी संकलित कर सकता है और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट दे सकता है।

''14. उपरोक्त निर्देशों का पालन केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव के साथ साथ सभी राज्य सरकारों के गृह सचिवों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। हासिल की गयी प्रगति का हलफनामा ओवरसाईस बॉडी द्व ारा 31 जुलाई 2018 को या इससे पहले दाखिल किया जा सकता है, कथित जुलाई या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। मामले को विचार के लिये 1 अगस्त 2018 को रखें।

32. जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये उपरोक्त निर्णय की चर्चा पर वास्तव में यह एक ऐसा आदेश नहीं था, जिसे मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। इसकी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों के बावजूद जो जांच का विषय था और विशेष रूप से यदि हम इसे डी0के0 बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 416 रिपोर्ट किये गये निर्णय के दृष्टिकोण से शफी मोहम्मद उपरोक्त के उक्त निर्णय में पैरा 13 में निर्दिष्ट निर्णय के निवास से रहते हैं, जिस पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गयी है। वास्तव में यदि डी0के0 बसु सुप्रा के 1997 के फेसले की भावनाओं को ध्यान में रखा जाये तो वास्तव में यह मानवाधिकारों के दुरुपयोग को कमरे करने के उद्देश्य से जांच और नियन्त्रण प्रदान करने के लिये एक पहलू से संबंधित था और विशेष रूप से इसमें निहित पुलिस स्टेशन के साथ साथ जेलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने के उद्देश्य थे ताकि हिरासत में हिंसा, बलात्कार, पुलिस हिरासत में मृत्यु और तालाबंदी आदि पर नियंत्रण रखा जा सके।

''1. सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर राजनैतिक संगठन, पश्चिम बंगाल की कानूनी सहायता सेवा के कार्यकारी अध्यक्ष ने 26 अगस्त 1986 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र सम्बोधित किया, जिसमें पुलिस लॉकअप और हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में 20, 21 और 22 जुलाई 1986 के टेलीग्राफ और 17 अगस्त 1986 के स्टेटसमैन और इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कुछ समाचारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष ने समाचारों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद कहा कि इस मुद्दे की गहराई से जांच करना और अभिरक्षा न्याय शास्त्र विकसित करना और पुलिस अभिरक्षा में हुये अत्याचारों और मौत के लिये पीड़ित/या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को मुआवाजा देने के लिये तौर तरीके तैयार करना और सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही प्रदान करना अनिवार्य है। पत्र में यह भी कहा गया था कि अक्सर लॉकअप मौतों के मामले को दबाने के प्रयास किये

जाते हैं और इस प्रकार अपराध को दण्डित नहीं किया जाता है और पनपता है। यह अनुरोध किया गया था कि समाचार वस्तुओं के साथ पत्र को जनहित याचिका श्रेणी के तहत एक रिट याचिका के रूप में माना जाये।

8. भारत के विधि आयोग ने भी इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में ''पुलिस हिरासत में चोटों'' के सम्बन्ध में 113वी रिपोर्ट की एक प्रति भेजी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114बी को शामिल करने का सुझाव दिया।

9. प्रत्येक मनुष्य के पुष्ट अधिकारों के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिये नागरिकों के मौलिक और बुनियादी मानवाधिकारों के संरक्षक और रक्षक के रूप में उनके उल्लंघन को रोकना न्यायालय का एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। हवालात में यातना और मौत सहित अभिरक्षा, हिंसा कानून के शासन पर एक झटका है, जो मांग करता है कि कार्यपालिका की शक्तियां न केवल कानून से प्राप्त की जानी चाहिये बल्कि उन्हें कानून द्वारा सीमित भी किया जाना चाहिये। अभिरक्षा हिंसा चिंता का विषय है, जो यह इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि यह उन व्यक्तियों द्वारा किया जात है, जिन्हें नागरिकों का रक्षक माना जाता है। यह पुलिस स्टेशन या लॉकअप की चादीवारों में वर्दी और अधिकार की ढ़ाल के तहत किया जाता है, जिसमें पीड़ित पूरी तरह से असहाय होता है। पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा यातना और र्दुव्यवहार से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एक स्वतंत्र समाज में गहरी चिंता का विषय है। यह याचिकायें पुलिस की शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती हैं, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिये मौद्रिक मुआवजा दिया जाना चाहिये या नहीं, मुद्दे बुनियादी हैं। यातना आत्मा में एक घाव है, जो इतना दर्दनाक है कि कभी कभी आप इसे छू सकते हैं लेकिन यह इतना अमूर्त भी है कि इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। यातना आपकी छाती को निचोड़ने वाली पीड़ा है, बर्फ की तरह ठंडी और नींद की तरह लकवाग्रस्त पत्थर की तरह भारी और रसातल की तरह अंधेरा। यातना निराशा और भय और क्रोध और घृणा है। यह खुद को मारने और नष्ट करने की इच्छा है।

''10. ''यातना'' को संविधान या अन्य दंडात्मक कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। एक दूसरे इंसान द्वारा एक इंसान की ''यातना'' अनिवार्य रूप से ''कमजोर'' पर ''मजबूत'' की इच्छा को पीड़ित पर थोपने

का एक साधन है। आज यातना शब्द मानव सभ्यता के काले पक्ष का पर्याय बन गया है।

13. अभिरक्षा हिंसा और पुलिस शक्ति का दुरुपयोग न केवल इस देश के लिये विशिष्ट है, बल्कि यह व्यापक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय रहा है क्योंकि यह समस्या सार्वभौमिक है और चुनौती लगभग वैश्विक है। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कुछ बुनियादी मानवाधिकारों के संरक्षण और गारन्टी की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के उद्भव को चिन्हित करती है, अनुच्छेद 5 में निर्धारित करती है कि ''किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के अधीन नहीं किया जायेगा।'' पवित्र घोषणा के बावजूद, अपराध बेरोकटोक जारी है, हालांकि हर सभ्य राष्ट्र अपनी चिंता दिखाता है और इसके उन्मूलन के लिये कदम उठाता है।

33. यदि शफी मोहम्मद के फैसले का एक संयुक्त पठन (सुप्रा) और डी0के0 बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सुप्रा) को ध्यान में रखा जाता है, वे सभी पूरी तरह से अलग–अलग परिस्थितियों पर आधारित थे और जिनका उद्देश्य वीडियोग्राफी के उपायों को अपनाकर एक विशेष आकस्मिकता का सामना करना था। पुलिस अत्याचारों के मामलों के आंतरिक नियंत्रण के प्रयास में, उदाहरण के लिये जेल, लॉकअप के साथ–साथ पुलिस स्टेशन में, जिसका उद्देश्य मानव अधिकार की रक्षा करना था। यदि शफी मोहम्मद (सुप्रा) के फैसले का एक संयुक्त वाचन और वह डी0के0 बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सुप्रा) को ध्यान में रखे, वे पूरी तरह से परिस्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित थे, जिसका उद्देश्य घरेलू नियंत्रण के प्रयास में वीड़ियोग्राफी के उपायों को अपनाकर एक विशेष आकस्मिकता को पूरा करना था। पुलिस अत्याचार के मामले, उदाहरण के लिये जेल, लॉकअप, साथ ही पुलिस स्टेशन में जिसका उद्देश्य मानव अधिकार की रक्षा करना था। जहां तक वर्तमान मामले की परिस्थितियों का संबंध है, इन निर्णयों का कोई प्रभाव या असर नहीं होगा, जहां पुलिस टीम द्वारा अनाधिकृत रूप से लाये जा रहे मादक द्रव्य की सूचना के आधार पर एक यादृच्छिक जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा गया था। सार्वजनिक स्थान पर और वह भी रात के समय, जहां व्यवहारिक रूप से वीडियोग्राफी, तलाशी और जब्ती के सुझावों को अपनाना संभव नहीं होगा, जो कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार अनिवार्य था, उक्त अनुपात के अनुसार, जिस पर मैंने पहले ही विचार कर लिया है और अपने कारण दर्ज कर लिये हैं, वे केवल पुलिस स्टेशन, जेल, लॉकअप आदि में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नीति के माध्यम से अपनाये जाने वाले सुझाव थे।

34. इस न्यायालय ने पहले ही अशोक चौहान (सुप्रा) के निर्णय पर चर्चा की है जैसा कि (2018) 2 यू0डी0 191 में बताया गया है, यदि उक्त निर्णय को ध्यान में रखा जाता है, तो यह एक ऐसा मामला था जो चरस की वसूली और धारा 50 (1) एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के पालन के सिद्धान्तों से संबंधित था, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निकालने की मांग की जा रही थी, जो (2011) 1 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 609 विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य और (2002) 2 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 281 वर्मन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य में बताये गये निर्णय के प्रभाव के आधार पर था, जिसका संदर्भ उक्त निर्णय के पैरा 8 और पैरा 6 में मिलता है। निर्णय के पैरा 8 में दिये गये व्यापक सिद्धान्त (2002) 2 उच्चतम न्यायालय के मामले 281, वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के आलोक में थे, जो यहां नीचे निकाला गया है–

> ''8. मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2002) 2 एस0सी0सी0 281 में रिपोर्ट किये गये वामन नारायण घीया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जमानत शब्द पर चर्चा की है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय, साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा और गुणों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिये। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6, 7, 8 और 11 को यहां संदर्भित किया जा रहा है–
>
> 6. दण्ड प्रक्रिया संहिता में ''जमानत'' एक अपरिभषित शब्द है। कहीं और इस शब्द को वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। वैचारिक रूप से इसे 1948 के संयुक्त राष्ट मानवाधिकार घोषणात्मक के वाद से प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का दावा करने के अधिकार के रूप में समझा जाता है, जिसमें भारतीय एक हस्ताक्षरकर्ता है, जमानत की अवधारणा को मानवाधिकार के दायरे में जगह मिली है। ''जमानत'' शब्द का शब्दकोषीय अर्थ किसी कैदी की रिहाई के लिये उसकी उपस्थिति की सुरक्षा को दर्शाता है। व्युत्पत्ति के अनुसार, यह शब्द एक पुरानी फ्रांसीसी क्रिया 'बेलर' से लिया गया है, जिसका अर्थ है देना या वितरित करना, हालांकि एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द बैयुलारे से हुई है, जिसका अर्थ है बोझ उठाना जमानत एक सशर्त आजादी है, स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी चौथा संस्करण 1971) कुछ अन्य विवरण बताता है वो कहता है– ''जब किसी व्यक्ति को गुंडागर्दी, गुंडागर्दी के संदेह, गुंडागर्दी के संकेत, या ऐसे किसी मामले के लिये ले जाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, ताकि उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके और कानून द्वारा जमानती होने

के कारण, उन लोगों के लिये अपराध की जमानत हो सके, जिनके पास उसे जमानत देने का अधिकार है, जो राजा के उपयोग के लिये एक निश्चित धनराशि, या शरीर के बदले शरीर के रूप में जमानतदार उसके लिये बाध्य हैं, फिर वह अगले सत्र आदि में गोल डिलीवरी के न्यायाधीशों के सामने पेश होगा। फिर इन जमानत के बांड पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह उसे जमानत दे दी जाती है, यानी उसकी उपस्थिति के लिये नियत दिन तक स्वतंत्र कर दिया जाता है।'' इस प्रकार जमानत को एक तंत्र के रूप में माना जा सकता है, जिसके तहत राज्य कैदियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कार्य समुदाय को सौंपता है, और साथ ही न्याय प्रशासन में समुदाय की भागीदारी भी शामिल करता है।

7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है और इसे केवल कानून द्वारा स्वीकृत किसी प्रक्रिया द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। एक नागरिक की स्वतंत्रता निसंदेह महत्वपूर्ण है लेकिन यह समुदाय की सुरक्षा के साथ संतुलन बनाने के लिये है। अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस के जांच अधिकार के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की जांच करने के पुलिस के अधिकार में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिये। इसे दो परस्पर विरोधी मांगों को संतुलित करना होगा, अर्थात् एक तरफ, अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति के गलत कारनामें के संपर्क में आने के खतरों से बचाने के लिये समाज की आवश्यकतायें; और दूसरी ओर, आपराधिक न्यायशास्त्र की मौलिक तोप, अर्थात् किसी आरोपी को दोषी पाये जाने तक उसकी बेगुनाही का अनुमान लगाना।स्वतंत्रता समपूर्ण संयम के अनुपात में मौजूद है, दूसरों को हमसे दूर रखने के लिए जितना संयम होगा, हमें उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होगी।

8. कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह जमानत के कानून का अपनी फिलोसॉफी है और यह न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जमानत की अवधारणा एक व्यक्ति, जिस पर अपराध करने का आरोप है, की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पुलिस शक्ति और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा के बीच संघर्ष से उभरती है किसी अभियुक्त को उसके अपराध के आधार पर दण्डित करने के उद्देश्य से हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

11. जमानत के आवेदन पर विचार करते समय साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा और गुण दोष के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिये। यह

आवश्यकता इस वांछनीयता से उत्पन्न होती है कि किसी भी पक्ष को यह आभास नहीं होना चाहिये कि उसके मामले का निर्णय पहले ही कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अस्तित्व में होना ही विचारणीय है, विस्तृत विश्लेषण या गुणों के विस्तृत अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। (निरंजन सिंह व अन्य बनाम प्रभारकर राज राम खरोटे और अन्य ए0आई0आर0 1980 एस0सी0 785) जहां अपराध गम्भीर प्रकृति का है, वहां जमानत देने का प्रश्न अपराध की प्रकृति और गम्भीरता, साक्ष्य की प्रकृति और अन्य बातों के अलावा जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुये तय किया जाना चाहिये।

35. वास्तव में इसमें मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं कि जिस चरण में जमानत आवेदन पर विचार किया जा रहा है, वहां सबूतों की विस्तृत चर्चा और दस्तावेज की विस्तृत योग्यता पर विचार करने से बचा जाना चाहिये। लेकिन वह ऐसी स्थिति नहीं है, जिसे वर्तमान मामले में लागू किया जा सके, विशेष रूप से तब जब अधिवक्ता ने स्वंय न्यायालय को आमंत्रित किया हो और उससे उन अधिकारियों को जवाब देने के लिये कहा हो, जिन पर वह अपनी जमानत याचिका को आगे बढ़ाने के समर्थन में भरोसा करना चाहता है। हालांकि इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग प्रकृति में विवेकाधीन है लेकिन फिर यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि न्याय निर्णयन के सिद्धान्त के अधिवक्ता यदि अपने मामले के समर्थन में किसी निर्णय का संदर्भ देता है भले ही मामले की प्रकृति कुछ भी हो, जमानत के लिये आवेदन होने पर भी वह कर्तव्य से बंधा हुआ है, यह विचार करने के लिये क्या वे सिद्धान्त लागू होंगे या नहीं। जैसा कि वर्मन नारायण घीया (सुप्रा) मामले में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह न्यायालय जमानत पर विचार के चरण में वर्तमान मामले में और इसकी परिस्थितियों में इसकी प्रयोज्यता पर विचार करने के प्रयोजनों के लिये आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये अधिकरणों पर विचार करने के लिये बाध्य था।

36. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे एक फैसले का संदर्भ दिया था, जो परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य (2021) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 184 में रिपोर्ट किया गया था, जो फिर से डी0के0 बसु 1997 (उपरोक्त) के सिद्धान्तों पर आधारित था। जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रभावों से निपटने के दौरान, नागरिक के मौलिक और मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्यों के लिये, पुलिस स्टेशन, जेल और लॉकअप के अन्दर वीडियोग्राफी प्रणाली और सी0सी0टी0वी कैमरों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया था और इसलिये मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में एक बार फिर यह अभिनिर्धारित किया था कि सी0सी0टी0वी कैमरों के

रखरखाव के लिये संबंधित पुलिस स्टेशनों के एस0एच0ओ0 को प्रयास किये जाने चाहिये। शफी मोहम्मद के निर्णय के पैरा 5 में परमवीर सिंह सैनी उपरोक्त में की गयी टिप्पणियों को निकालते समय निपटा गया है, जो निम्नलिखित है–

''5. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16–07–2020 द्वारा गृह मंत्रालय को विशेष अनुमति याचिका में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारार 161 के बयान धारा 161(3) के परन्तुक में उल्लखित ऑडियो वीडियो रिकॉडिंग से कराये जाने के प्रश्न पर साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आमतौर पर पुलिस थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की स्थापना के विषय में तत्काल नोटिस भेजा था। नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय द्वारा शफी मोहम्मद (सुप्रा) में दिये गये निर्देशों का भी नोट दिया गया।''

37. आवेदक के वकील ने इस न्यायालय का ध्यान परमली सिंह सैनी (सुप्रा) के उक्त फैसले के पैरा 21 और 22 की ओर आकर्षित किया है, जो यहां उद्धृत हैः–

''21. एस0एल0ओ0सी0 और सी0ओ0बी0 जहां लागू हों, सभी पुलिस थानों, जांच प्रवर्तन एजेन्सियों को सी0सी0टी0वी द्वारा सम्बन्धित परिसरों के कवरेज के बारे में प्रवेश द्वारा पर और पुलिस थानों/जांच/प्रवर्तन एजेन्सियों के कार्यालयों के अन्दर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश देंगे। यह अंग्रेजी, हिन्दी और स्थानीय भाषा में बड़े पोस्टरों द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के अलावा, चूंकि यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारन्टीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिये है, और चूंकि हमारे पहले आदेश दिनांक 03–04–2018 के डेढ़ साल से अधिक की अवधि के लिये इस सम्बन्ध में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया है, इसलिये कार्यकारी/प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को इस आदेश के अक्षर और भावना दोनों में जल्द से जल्द लागू करना है। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव/कैबिनेट सचिव/गृह सचिव द्वारा इस न्यायालय को आज के आदेश के अनुपालन के लिये सटीक समयसीमा के साथ एक ठोस कार्ययोजना देते हुये शपथपत्र दायर किये जायेंगे। यह आज से छः सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है।

38. वास्तव में एक बार फिर दोहराया जाता है कि जांच एजेन्सियों की कार्यवाहियों के रिकॉडिंग लागू करने के लिये सी0सी0टी0वी0 सर्विस की स्थापना व आवश्यकता के लिये उसमें निहित निर्देश मानवाधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, पुलिस स्टेशन के लिये है। वास्तव में यह फिर से केवल एक निर्देश था, जो संबंधित पुलिस स्टेशनों में प्रोद्योगिकी तंत्र की स्थापना की प्रक्रिया का सहारा होने के लिये दिया गया था और यह विशेष रूप से परिस्थितियों से निपटने के लिये नहीं था, क्योंकि यह वर्तमान मामले में समान रूप से विचार में शामिल है, जहां आवेदक को पुलिस दल द्वारा लक्सर बस स्टॉप के पास मलक चुंगी हरिद्वार रोड़ पर पकड़ा गया था लेकिन जहां

सभी आम लोगों में वीडियोग्राफी करना संभव नहीं है और जब्ती व बरामदगी की कवरेज करना और विशेष रूप से एन0डी0पी0एस में जहां सूचना बिल्कुल अंत में प्राप्त होती है।

39. आवेदक के अधिवक्ता ने अन्य बहुत से निर्णयों का संदर्भ लिया। उदाहरण के लिये (2015) में रिपोर्टड 7 एस0सी0सी0 178 टमसो ब्रूनो बमाम उत्तर प्रदेश राज्य, और विशेष रूप से उन्होंने इस निर्णय के पैरा 26, 27 व 28 का संदर्भ लिया, जो निम्नलिखित हैः—

26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में पेश करने से जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष को भी काफी मदद मिलती है। मोहम्मद अजमल मोहम्मद के निर्णय के प्रकाश में इलेक्टॉनिक साक्ष्य की प्रासंगिता भी स्पष्ट है। आमीर कसाब बनाम महाराष्ट राज्य मनु/एस0सी0/0681/2012:(2012) 9 एस0सी0सी0 1, जिसमें इंटरनैट लेनदेन की प्रतिलेखो के उत्पादन से अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराधो को साबित करने में काफी मदद मिली। इसी तरह, के मामले में राज्य (एन0सी0टी0 दिल्ली) बनाम नवजोत संधु उर्फ अफसान गुरू मनु/एस0सी0/0465/2005: (2005) 11 एस0सी0सी0 600, मारे गये आंतकवादियों और हमले के मास्टरमाईन्ड के बीच संबंध मोबाईल सेवा प्रदाता से प्राप्त केवल फोन कॉल ट्रांस्क्रिप्ट के माध्यम से स्थापित किये गये थे।

27. टायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सी0सी0टी0वी0 फुटेज का संग्रह न करना, अधुरा साईट प्लान, आरोपियो से जब्त किये गये मोबाईल फोन के सभी रिकॉर्ड और सिम विवरण शामिल न करना दोषपूर्ण जांच के उदाहरण है और इसका अभियोजन पर कोई प्रभाव नही पडेगा। सी0सी0टी0वी0 फुटेज का गैर—उत्पादन, कॉल रिकॉर्ड (विवरण) का संग्रह न करना और आरोपियों से जब्त किये गये मोबाईल फोन के सिम विवरण को दोषपूर्ण जांच का उदाहरण नही किया जा सकता है, बल्कि सर्वोत्तम सबुतो को छुपाने के सामान है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नही है कि सी0सी0टी0वी0 फुटेज नही उठाया जा सका या सीडी की प्रतिलिपि नही बनायी जा सकी।

28. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के अनुसार, यदि किसी पक्ष के पास सर्वोत्तम साक्ष्य है जो विवाद में प्रकाश डाल सकता है, वह उसे रोकता है, तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है, भले ही साबित करने का दायित्व उस पर न हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा—114 (जी) के तहत अनुमान केवल एक स्वीकार्य अनुमान है और अनिवार्य अनुमान नही है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा—139 के तहत अनुमान के विपरीत, जहां न्यायालय के पास वैधानिक अनुमान लगाने के अलावा कोई विकल्प नही है, साक्ष्य अधिनियम की धारा—114 के तहत,

न्यायालय के पास विकल्प है, न्यायालय कुछ तथ्यों के प्रमाण पर अनुमान भी लगा सकता है और नही भी। साक्ष्य अधिनियम की धारा–114(जी) के तहत अनुमान लगाना साबित करने के लिये आवश्यक तथ्य की प्रकृति और विवाद में इसके महत्व, इसे साबित करने के सामान्य तरीके पर निर्भर करता है, जो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है उसकी प्रकृति गुणवत्ता और प्रासंगिता और संबधित पक्ष तक उसकी पहुॅच, इन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब इन सभी मामलों पर विधिवत विचार किया जाता है तब एक विपरीत निष्कर्ष पक्षकार के विरूद्ध निकाला जा सकता है।

40. मेरे आदेश पर पूरे सम्मान के साथ, यह न्यायालय वर्तमान मामले में उक्त सिद्वांत का पालन करने के लिये सहमत नही है, क्योंकि उक्त निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65–ए, 65–बी और 65–ई के तहत निहित प्रावधानो के सिद्वांत के आलोक में, सी0सी0टी0वी0 फुटेज और कॉल रिकोर्ड करने के उद्देश्य से जांच एजेंसी की पहुंच के सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा–114(iii)(जी) के तहत निहित प्रावधानो के प्रभाव पर विचार कर रहा था। यह एक ऐसा मामला था जिस पर एक व्यक्ति पर आई0पी0सी0 की धारा–302 का मुकदमा चलाया जा रहा था। उस स्थिति में हमेशा यह जांच होती है कि जो घटना के बाद या घटना की रिपोर्टिंग के बाद की जा रही थी या की जा रही है और जांच के स्तर पर, सी0सी0टी0वी0 फुटेज और कॉल रिकोर्ड और मोबाईल विवरण के संग्रह को उक्त अपराध के लिये किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाते समय सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये आवश्यक साधन के रूप में बनाया गया है, यह एक समान उदाहरण या निष्कर्ष नही हो सकती है, जिसे वर्तमान मामले में यहां लागू किया जा सकता है क्योंकि यदि टमसो ब्रूनों व अन्य (सुप्रा) की जांच की जाती है, तो जहां तक मोहम्मद अजमल आमीर कसाब बनाम राज्य महाराष्ट निर्णय रिपोर्टड (2012) 9 एस0सी0सी0 केस 1 के निर्णय का संबंध है, यह उक्त के प्रकाश में साक्ष्य अधिनियम की धारा–65बी के प्रावधान के निहितार्थ विचाराधीन थे। फिर से एक अपराध की पूरी तरह से अलग प्रकृति संदर्भ और संभावना पर या विशेष रूप से वर्तमान मामले की परिस्थितियों में। जब इस न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी को इसकी कार्यवाही दिनांक 10.03.2021 द्वारा बुलाया गया था, जांच अधिकारी द्वारा एक बहुत ही स्पष्ट बयान दिया गया था कि घटना की वीडियोग्राफी नही की गयी थी और कॉल विवरण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी क्योकि वह एक वर्ष की अवधि से पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

41. जैसा कि पहले ही उपर देखा जा चुका है, वर्तमान मामले में कॉल डिटेल रिकोर्ड इस कारण से अधिक प्रासंगिक नही होगा क्योंकि जब वर्तमान आवेदक को पुलिस टीम ने दिनांक 15.12.2019 को पकड लिया था, उसने स्वयं बहुत स्पष्टता से

अपराध करना स्वीकार किया है, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था, जो उसके कब्जे से और उसकी कार से बरामद किया गया था। उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह छात्रो को प्रतिबंधित वस्तुऐ बेचता था और रास्ते में पैसे वसूल करता था। इसलिए, उस स्थिति में जहां एक तथ्य को विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है, रिकवरी मैमो में उसके द्वारा किये गये समर्थन के कारण और बयान के कारण भी, जो सी0ओ0 द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा–161 के तहत दर्ज किया गया था और विशेष रूप से वह भी तब जब इस आशय की कोई दलील नही दी गयी है कि वर्तमान आवेदक को झूठा फंसाने के लिये पुलिस अधिकारियों का क्या मकसद था, और आवेदक द्वारा कोई स्पष्ट दोष नही बताया गया था कि जिस समय सामान जब्त किया गया था कब्जे में लिया गया, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–50 के तहत पुलिस पार्टी द्वारा कोई प्रतिक्रियात्मक त्रुटि की गयी थी। विडियोंग्राफी प्रस्तुत न करने, जो स्पष्ट रूप से वहां नही थी और इस स्तर पर सी0डी0आर0 प्रस्तुत न करने के कारण, यह न्यायालय जानबुझकर एन0डी0पी0एस0 न्यायालय द्वारा किये जाने वाले अंतिम फैसले पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है, जो ट्रॉयल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना है, लेकिन इसे विशेष रूप से जमानत आवेदन पर विचार करने के लिये एक कारण के रूप में नही लिया जा सकता, खासकर जब यह एक स्वीकृत मामला है, तो आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की प्रविष्टी 169 के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा से परे था। इसलिए, इस न्यायालय की राय के अनुसार अधिनियम की धारा–37 की रोक लागू होगी।

42. एक अन्य मुख्य पहलू जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने संदर्भ दिया था, वह (2012) 7 सर्वोच्च न्यायालयो के मामलो 719 भारत संघ बनाम मोहन लाल और अन्य में रिपोर्ट किये गये फैसले के आलोक में जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय धारा 32(ए) के प्रावधानो के साथ काम कर रहा था, जिसे धारा 8/18(बी) के साथ पढा जाना था, जिसे एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 29 के साथ पढा जाना था। उक्त फैसले में विशेष रूप से उस प्रक्रिया के बारे में बात की गयी है जो पुलिस दल द्वारा जब्त किये गये खतरनाक पदार्थ के निपटान के उद्देश्यों के लिये अपनायी जाने की उम्मीद थी, जो कि अधिनियम के तहत निषिद्व मादक पदार्थ है और इसका निपटान कैसे किया जाना है क्योंकि धारा–52 ए के तहत बरामद प्रतिबंधित पदार्थ के विनाश की रिकोर्डिंग एक पूर्व निर्धारित है, जिसे इसके सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये विडियोग्राफी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रतिबंधित पदार्थ के उपभोक्ताओ के बीच इसके पुनः प्रसार को रोका जा सके, जहां विनाशकारी कार्य का ज्ञान पहले से ज्ञात और अधिकारियों के ज्ञान में है। इसके अलावा उक्त निर्णय का

आधार, जिस पर उक्त निर्णय के पेरा–1 और पेरा–2 में विचार किया गया था, विशेष रूप से ''जब्त किये गये मादक पदार्थो, मादक पदार्थो और मनः प्रभावी पदार्थो के निपटान'' तक सीमित था, जो वर्तमान जमानत आवेदन में कभी भी विचार के लिये शामिल नही है। एक अन्य निर्णय में एक सामान सिद्वांतो पर विचार किया गया था, जिस पर (2018) 4 सर्वोच्च न्यायालय मामला 334, भारत संघ बनाम जारूपा राम में रिपोर्ट किये गये आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था और विशेष रूप से, यदि हमारे पास फैसले के पेरा–9, 10, 11 और 12 का संदर्भ है, तो यह अधिनियम की धारा–8 और 29 के निहितार्थ पर विचार करने के लिये लगभग एक समान था, जहां धारा–52ए (उपर उल्लेखित) के प्रावधानो के अनुसार भारी मात्रा में मादक पदार्थो का निपटान, जिसे बरामद किया गया था और एक मामले में जब्त किया गया था, को नष्ट किया जाना था।

43. वास्तव में, यदि उक्त निर्णय पर विचार किया जाता है, तो उसने निषिद्व पदार्थ की थोक मात्रा के निपटान के लिये पहलुओ के संबंध में विचार किया, जिसमें यह अभिधारणा की गयी थी कि इस तरह के विनाश के आरोपी व्यक्ति को उचित पूर्व सूचना के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निपटान किये जाने की उम्मीद थी और यह एक ऐसा मामला था जहां विचाराधीन निर्णय स्वीकारोक्ति का निर्णय था, जो कि मामला नही है, जिसे जमानत के इस चरण में वर्तमान मामले की परिस्थितियों में लागू किया जायेगा, जहां अभी भी मुकदमा विचाराधीन है और सबूत के आवेदन के बाद कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

44. अपने उक्त तर्क के विस्तार में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वास्तव में सिद्धान्त के रूप में इस न्यायालय द्वारा विचार करना और निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं कि जब एक विशेष कानून, जिसके अंतर्गत कोई कार्यवाही की जा रही है, प्रकृति में दण्डात्मक है तो इसका प्रक्रियात्मक रूप से सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिये और उक्त उद्देश्य के लिये उन्होंने (2018) 2 एस0सी0सी0 158 (काराधान और कान्टन के तदत) डिप्टी कमीशनर इनकम टैक्स बनाम मैसर्स मल्टी एक्सेस सिस्टम लिमिटेड के निर्णय व विशेष तौर पर उक्त निर्णय के पैरा 20 का संदर्भ लिया, जो निम्नवत है–

> ''20 झारखण्ड राज्य बनाम अम्बे सीमेन्ट 5 में यह कथन था कि क्या नई स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिये छूट उनके निर्धारिती पर लागू होती है। उच्च न्यायालय ने 4 (2011) 2 एस0सी0सी0 745 (2005) 1 एस0सी0सी 368 के तहत लाभ की अनुमति दी थी भले ही निर्धारती इसके लिये योग्य नहीं था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को उलट दिया और माना कि कर से छूट देने की शर्तें अनिवार्य हैं और इनके अभावों में यह छूटें नहीं दी जा सकती।

बजाज टैम्पो (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय में अन्तर करते हुये यह पाया कि–

23. श्री भारूका ने आगे कहा कि कर कानूनों में कर की रियायती दर के प्रावधानों को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिये और उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में उन्होंने सी0एस0टी0 बनाम औद्योगिक कोयला उद्यम 1992 3 एस0सी0सी 78 में और बजाज टैम्पो लिमिटेड बनाम सी0आई0टी0 इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। हम उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारे विचार में, छूट खण्ड के प्रावधानों को सख्ती से समझा जाना चाहिये और यदि जिस शर्त के तहत छूट दी गयी थी, वे किसी भी बाद की घटना के कारण बदल गयी है, छूट लागू नहीं होगी।

''24. हमारे विचार में किसी कर कानून में अपवाद या छूट वाले प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिये और औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों की अनदेखी करना न्यायालय के लिये खुला नहीं है।

25. हमारे विचार में आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने योग्य बनाती है जबकि अनिवार्य नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये, निर्देशिक नियम के मामले में पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है।

26. जब भी कानून यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है और यह भी निर्धारित करता है कि उक्त आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता के गम्भीर परिणाम होंगे तो ऐसी आवश्यकता अनिवार्य होगी। यह व्याख्या का मुख्य नियम है कि जहां कोई कानून यह प्रावधान करता है कि कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिये, उसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिये, किसी अन्य तरीके से नहीं। व्याख्या का यह भी स्थापित नियम है कि जहां कोई कानून दण्डात्मक प्रकृति का है, वहां उसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिये और उसका पालन किया जाना चाहिये। चूंकि मौजूदा मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिये इसका अनुपालन न करने पर अनुदान प्राप्तकर्ता/प्रतिवादी के पक्ष में की गयी रियायत रद्द की जानी चाहिये।

45. कर कानून के तहत विचार किये जाने वाले दण्ड के प्रावधान जो विशेष रूप से कर कानून के उल्लंघन के व्यक्तिगत क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून है, जहां अधिनियम के तहत दण्ड पर विचार किया जाता है, वर्तमान परिस्थिति के प्रकाश में आकर्षित नहीं होंगे। मामला जहां वर्तमान आवेदक के खिलाफ अपराध की

शिकायत एक सामाजिक अपराध है, जिससे छात्रों को नशीली दवाओं की बिक्री से समाज में खतरा पैदा होने की आशंका थी, जिसे आवेदक ने कबूल किया था और इसलिये निर्णय के सिद्धान्त आयकर उपायुक्त सुप्रा का मामला जो कि 2005 1 सुप्रीम कोर्ट 368 बजाज टेम्पो लिमिटेड बनाम सी0आई0टी0 में रिपोर्ट किये गये मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर आधारित था, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि कानून के दो क्षेत्र ''कर कानून'' और ''नारकोटिक्स के कानून'' हैं, उन्हें एक सामान्य आधार पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसे अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के पैरा 20 के उप पैरा 26 में की गयी आब्जरवेशन के प्रकाश में संदर्भित करने की मांग की गयी है।

46. जहां तक वर्तमान मामले की परिस्थितियों का प्रश्न है, और काफी विस्तृत रूप से न्यायालय पहले ही उन तर्कों से निपट चुका है, जो वर्तमान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बढ़ाये गये थे, कुछ स्पष्ट तथ्य हैं–

(i) प्रतिबन्धित पदार्थ की बरामदगी निर्धारित व्यवसायिक मात्रा से अधिक थी।

(ii) यह बरामदगी एन0डी0पी0एस0 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के क्रम संख्या 169 के तहत प्रदान की गयी निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से अधिक थी।

(iii) इंजेक्शन, जिनकी संख्या लगभग 1000 थी कि जब्ती अधिनियम की धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी द्वारा और आवेदक की उपस्थिति में राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी सहमति लेने के बाद अधिनियम की धारा 50 के प्रकाश में की गयी थी और उसने स्वंय अपने पास से एवं अपने कब्जे से एवं अपनी आई–20 कार से की गयी बरामदगी के तथ्य को प्रमाणित करके बरामदगी मैंमो का समर्थन किया है।

(iv) वह, जब आवेदक विभिन्न चरणों में जहां जमानत आवेदन पर न्यायालयों द्वारा विचार किया जा रहा था और विशेष रूप से पूरक हलफनामें के माध्यम से, जो आवेदक द्वारा मामले को विकसित करते हुये दायर किया गया था, एक अलग रूख अपना रहा है। जाहिद अली के साथ दुश्मनी, जिस पर आवेदक ने डग तस्कर होने का आरोप लगाया है और चूंकि उसे आवेदक के पिता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, इसलिये उसके खिलाफ वर्तमान मामला र्दुभावना से बनाया गया है। इस स्तर पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इसलिये क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है और इसे आवेदक द्वारा पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष पूरक हलफनामें के माध्यम से विकसित किया गया था।

(v) यदि तर्क के लिये कुछ समय के लिये यह मान लिया जाये कि आवेदक के पिता की शिकायत पर जाहिद अली डग तस्कर को गिरफ्तार किया गया था, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान आवेदक और अन्य डग तस्कर यानि जाहिद अली और परवेज के साथ नशीले पदार्थों के साथ व्यवसायिक क्रिया

कलाप में लिप्त था और विशेष रूप से वर्तमान मामले में जब वसूली वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, तो एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान लागू होंगे, जो निम्नलिखित हैं–

धारा 37– अपराध का संज्ञेय और गैर जमानती होना– दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 1974 का 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुये भी–

क इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

ख (धाराओं 19 या 24 या 27–अ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध और वाणिज्यिक मात्रा को अन्तर्ग्रस्त करने वाले किसी अपराध के लिये दण्डनीय कोई भी व्यक्ति न तो जमानत पर और न ही अपने निजी बंधपत्र पर छोड़ा जायेगा, जब तक कि–

(i) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन पर विरोध करने के लिये अवसर न दिया गया हो।

(ii) जहां कि लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है और न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और न ही ऐसे अपराध के किये जाने की सम्भाव्यता है, जिसके लिये वह जमानत पर हो तब।

(2) उपधारा 1 के खण्ड ब में विनिर्दिष्ट जमानत प्रदान किये जाने की परिसीमायें दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जमानत दिये जाने की परिसीमाओं के संयोग में है।

47. एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 उन मामलों में जमानत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय पर प्रतिबंध लगाती है, जहां प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी व्यवसायिक मात्रा से परे है। अतः उपरोक्त वर्णित मामलों के समग्र विश्लेषण के उपरान्त, यह न्यायालय एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 की उपधारा 1 का आशय निकालता है और मैं इस राय का हूं कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, जिसमें जमानत प्रदान की जाये। परिणामस्वरूप जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
08.06.2021